रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 1992/श्रावण 1, 1914
No. 472] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 1992/SRAVANA 1, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और डेरी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1992

का.आ. 540(अ) :—दुग्ध और दुग्ध-उत्पाद आदेश, 1992 के पैरा 20 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में तरल दुग्ध के प्रदाय को बनाए रखने और उसमें अभिवृद्धि के लिये ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब मैं, दुग्ध और दुग्धउत्पाद- आदेश, 1992 के पैरा 27 के साथ पठित पैरा 20 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करता हूं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ :—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दिल्ली (दुग्ध और दुग्ध-उत्पाद) नियंत्रण आदेश, 1992 है।

(2) यह संपूर्ण दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर लागू होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 7 अगस्त, 1992 को प्रभावहीन हो जाएगा :

परन्तु इस आदेश की समाप्ति प्रवर्तन को ऐसी समाप्ति से पहले की गई या करने से लोप की गई किसी बात की बाबत उसके प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी।

2. परिभाषाएं :—इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियंत्रण अधिकारी" से आयुक्त, खाद्य, प्रदाय और उपभोक्ता मामले, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली अभिप्रेत है और इसमें उपायुक्त, खाद्य, प्रदाय और उपभोक्ता मामले और सहायक आयुक्त खाद्य, प्रदाय और उपभोक्ता मामले, दिल्ली प्रशासन है ;

(ख) "निर्यात" से संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली के भीतर किसी स्थान से उसके बाहर किसी स्थान को किसी भी रीति से ले जाना या ले जाने देना अभिप्रेत है ।

(ग) "दुग्ध" से गाय, भैंस, भेड़, बकरी का दुग्ध या उसका कोई संमिश्रण अभिप्रेत है चाहे अपरिष्कृत हो या किसी भी रीति से प्रसंस्कृत हो और इसमें पास्तेरीकृत, निर्जमित पुनः संयोजित सुरूचिकारित, अम्लिकृत, मखनिया, टोनित, डबल टोनित, मानकीकृत या संपूर्ण क्रीम दुग्ध है ।

(घ) दुग्ध-उत्पाद से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) संपूर्ण दुग्ध चूर्ण;

(ii) मखनिया दुग्ध चूर्ण;

(iii) संघनित दुग्ध (मधुरित और अमधुरित) ।

3. दुग्ध का दुग्ध-उत्पाद के रूप में संपरिवर्तन और दुग्ध उत्पाद के विक्रय, पूर्ति या प्रदाय का प्रतिषेध तथा दूध के निर्यात पर पाबंदी :—(क) कोई व्यक्ति पैरा 2 के उपपैरा (1) में वर्णित किसी दुग्ध उत्पाद के विनिर्माण के लिये दुग्ध का उपयोग नहीं करेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली से दुग्ध का निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं होने देगा :

परन्तु इस खंड की कोई बात ऐसे दुग्ध-उत्पाद के विनिर्माण, विक्रय, पूर्ति या प्रदाय और दूध के निर्यात के लिये जो रक्षा बलों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए नियंत्रण अधिकारी के आदेश द्वारा अनुज्ञात करे, लागू नहीं होगी ।

4. प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण आदि की शक्ति :—(1) नियंत्रण अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट या सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून का कोई पुलिस अधिकारी, खाद्य और प्रदाय विभाग, दिल्ली प्रशासन का कोई अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से कम न हो और आयुक्त, खाद्य, प्रदाय और उपभोक्ता मामले, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा विशेष रूप से या प्राधिकृत दिल्ली प्रशासन के किसी अन्य विभाग का कोई अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से कम न हो, इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने के लिये कि इस आदेश का अनुपालन किया जा रहा है; —

(क) पैरा 2 के उपपैरा (1) में वर्णित दुग्ध के निर्यात या किसी दुग्ध पदार्थ के विनिर्माण के लिये प्रयुक्त या उपयोग के लिये आशयित किसी व्यक्ति, नौका, मोटर या अन्य यान या किसी पात्र या मशीनरी को रोक सकेगा और तलाशी ले सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से कोई जानकारी देने और दुग्ध और दुग्ध-उत्पाद से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसी लेखाबहियों या दस्तावेजों को जो उसकी राय में इस आदेश के अधीन किसी कार्यवाही में सुसंगत होगी, अभिग्रहण कर सकेगा;

(ग) किसी स्थान पर या परिसर में किसी दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के साथ-साथ उन पैकेजों, अभिष्टकों, पात्रों या मशीनरी जिनमें दुग्ध या दुग्ध-उत्पाद पाये गये है या उसके साथ जिससे उक्त दुग्ध उत्पाद का विनिर्माण किया गया है या उन पशुओं, यानों जलयानों, नौकाओं या अन्य प्रवहनों को, जो दुग्ध या दुग्ध उत्पाद से जाने के लिये प्रयुक्त हुए हैं, का अभिग्रहण कर सकेगा और उसके पश्चात् उक्त अभिग्रहण किये गये पैकेजों, अभिष्टकों पात्रों या मशीनरी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने और प्रस्तुत किये जाने के बीच दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सुपुर्दगी के माध्यम से या अन्यथा आवश्यक सभी उपाय करेगा ।

(2) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध, यावतशक्य, इस खंड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे ।

5. नियंत्रण अधिकारी की शक्ति :—नियंत्रण अधिकारी ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जो वह, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में दुग्ध का प्रदाय बनाये रखने के लिये अभिग्रहण किये गये दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के उपयोग के संबंध में आवश्यक समझे ।

[फा. सं. 9-1/92-डी पी]
डी.सी. मिश्रा, नियंत्रक

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

ORDER

New Delhi, the 23rd July, 1992

S.O. 540(E).—Whereas, having regard to the factors specified in sub-paragraph (2) of paragraph 20 of the Milk and Milk Product Order, 1992, I am satisfied that in order to maintain and increase the supply of liquid milk in the Union Territory of Delhi, it is necessary so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-pararaph (1) of pararaph 20, read with

paragraph 27, of the Milk and Milk Product Order 1992, I hereby, make the following Order, namely :—

1. Short title, extent and commencemnt.—(1) This Order may be called the Delhi (Milk and Milk Product) Control Order, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the Union Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall cease to operate on 7th August, 1992 :

Provided that the expiry of this Order shall not affect the operation thereof in respect of things done or omitted to be done before such cesser of operation.

2. Definition.—In this order, unless the context otherwise requires,—

(a) "Controlling Officer" means Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs, Delhi Administration, Delhi, and includes Deputy Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs, and Assistant Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs, Delhi Administration, Delhi;

(b) "Export" means to take or cause to be taken, by any means whatsoever, out of any place within the Union Territory of Delhi to any place outside it;

(c) "Milk" means milk of cow, buffalo, sheep, goat or a mixture thereof, either raw or processed in any manner and includes pasteurised, sterilized, recombined, flavoured, acidified, skimmed, toned, double toned, standardised or full cream milk;

(d) "Milk Product" means :—

(i) Whole Milk Powder;

(ii) Skimmed Milk Powder;

(iii) Condenced Milk (Sweetened and unsweetened).

3. Prohibition on conversion of milk into milk product and sale, service or supply of milk product and ban on the export of milk.—(a) No person shall use milk for the manufacture of any milk product mentioned in sub-paragraph (d) of paragraph 2.

(b) No person shall export or cause to be exported milk from the Union Territory of Delhi :

Provided that nothing in this clause shall apply to use of milk for the manufacture, sale service or supply of such milk product and export of milk as the Controlling Officer may, having regard to the needs of the Defence Forces, by an order, permit;

4. Power of entry, search, seizure etc.—(1) The Controlling Officer or any Magistrate or any Police Officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector or any officer of the Food and Supplies Department, Delhi Administration, not below the rank of Sub-Inspector and any officer of any other Department of the Delhi Administration, not below the rank of Sub-Inspector specially authorised by the Commissioner, Food, Supplies and Consumer Affairs, Delhi Administration, Delhi may, with a view to securing compliance with this order or to satisfy himself that this order is being complied with,—

(a) stop and search any person or any boat, motor or other vehicle or any receptacle or machinery used or intended to be used for export of milk or for manufacture of any milk product mentioned in sub-paragraph (d) of paragraph 2;

(b) require any person to give any information and to produce books of account or other documents showing transaction relating to milk or milk product and seize any such books of account or documents which in his opinion would be relevant to any proceedings under this order;

(c) seize any milk or milk product in any place of premises together with packages, coverings, receptacles or machinery in which milk or milk product are found or with which such milk product are manufactured, or the animals, vehicles, vessels, boats or other conveyances used in carrying milk or milk product and, thereafter take all measures necessary through a 'superdar' or otherwise for securing the production of the packages, coverings, receptacles or machinery so seized in court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizure under this clause.

5. Power of Controlling Officer.—The Controlling Officer may pass such ad interim order as he considers necessary regarding utilisation of milk or milk product seized to maintain the supply of milk in the Union Territory of Delhi.

[F. No. 9-1/92 DP]

D. C. MISRA, Controller

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992